



Neutral Citation No. – 2026:AHC:174890

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-29179 वर्ष 2026

प्रेमवीर

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता:

अजीत कुमार, तरुण प्रताप सिंह

विपक्षीगण के अधिवक्ता:

शा.अधि.

न्यायालय संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री सार्थक मिश्रा तथा श्री योगेश श्रीवास्तव वकालतनामा प्रस्तुत करते हैं।

इसे अभिलेख पर लिया जाता है।

- 1ए. अभियुक्त-आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री तरुण प्रताप सिंह, सूचनादाता की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रा तथा श्री श्रीवास्तव तथा राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अधि. को सुना गया।

2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त-आवेदक **प्रेमवीर** द्वारा उसे विचारण की सुनवाई लंबित रहने की अवधि में, मुकदमा अपराध संख्या-362 सन् 2026, धारा 109(2), 351(2), 352, 3(5) भा.न्या.सं. तथा धारा 3/5/25/27 आयुध अधिनियम, थाना-रामगढ़, जनपद-फिरोजाबाद के अधीन जमानत पर रिहा किए जाने हेतु दाखिल किया गया है।
3. अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त-आवेदक को 08.06.2026 की घटना हेतु दिनांक 09.06.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में बिना किसी संभावित स्पष्टीकरण के 24 घंटे के विलंब के बाद दर्ज कराए जाने के कारण झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि सूचनादाता, जो घायल का पुत्र है, ने अभियुक्त-आवेदक सहित दो नामजद तथा एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है कि अभियुक्तगण ने आग्रेयास्त्र से घायल मुनीष पर हमला किया, जिसे बंदूक की गोली की चोटें आईं। आगे यह भी कहा गया है कि यह झूठी फंसाई है क्योंकि दोनों पक्षों ने प्रधानी चुनाव लड़ा और घायल को कहीं और चोटें आईं तथा उसे झूठे रूप से इस मामले में फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि चोटों की गंभीरता ऐसी नहीं है, जो घातक प्रकृति की हों क्योंकि उसे दो चोटें आई हैं, जिन्हें आग्रेयास्त्र की चोट होने का संदेह है। आग्रेयास्त्र की एक चोट बाएं अंगूठे के अग्रभाग पर है तथा उसके पेट पर एक अन्य लाल नुकीले घर्षण पाए गए। आगे यह भी कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखनीय विलंब है, जो दर्शाता है कि अभियुक्त-आवेदक को झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध तीन मामलों का आपराधिक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इतिहास है और सभी मामलों में वह जमानत पर है। आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। आवेदक 12.06.2026 से जेल में है और अतः, आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करता है।

4. सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अ.शा.अधि. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया और कथन किया कि यह आग्रेयास्त्र की चोट है, जो मेडिको-लीगल परीक्षण रिपोर्ट से परिलक्षित होती है। गोली चलाने की भूमिका अभियुक्त-आवेदक की है और अभियुक्त-आवेदक के इशारे पर देसी पिस्तौल बरामद की गई थी और अतः, कथन किया कि जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।
5. तर्क का प्रतिवाद करते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आग्रेयास्त्र की बरामदगी स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति में दर्शाई गई थी। अतः, बरामदगी गढ़ी हुई है।
6. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रतिस्पर्धी कथनों को ध्यान में रखा है और अभिलेख का अवलोकन किया है।
7. घायल के शरीर पर चोटों की प्रकृति एवं संख्या तथा दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित विलंब को ध्यान में रखा।
8. अतः, मामले के गुण-दोष को स्पर्श किए बिना, जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
9. अभियुक्त/आवेदक को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बॉन्ड तथा उतनी ही राशि के दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर, उच्चतम न्यायालय के **गिरीश गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2024) 10 SCC 674]** तथा **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल इन रे [(2024) 10 SCC 685]** के निर्णयों में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए जमानत पर रिहा किया जाए।
10. अभियुक्त-आवेदक निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण हेतु न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

19 अगस्त, 2026

शिवांगी

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”